

छात्रों को राजनीतिक मोहरा न बनाएं

नई दिल्ली, 22 जुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच विपक्ष पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छात्रों और युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवाओं को राजनीतिक मोहरा बनाने के बजाय उनके भविष्य और विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के

आज युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक



लिफ भी संकल्पबद्ध है कि किसी भी युवा या छात्र के साथ अन्याय न हो. उनके अनुसार, युवाओं के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. रक्षा मंत्री ने विपक्ष से अपील करते

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में विफलता: कांग्रेस

कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया है कि उनके इस्तीफे की मांग किसी एक मुद्दे पर आधारित नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्रालय में उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई विफलताओं और कथित भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला के कारण की जा रही है. कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में श्री प्रधान पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि वह एक उदासीन, असवेदनशील, अयोग्य और आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं.

हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद और चर्चा का सबसे उपयुक्त मंच संसद है. यदि किसी विषय पर सवाल या सतर्क हैं तो उन्हें संसद के भीतर उठाना जाना चाहिए, न कि सड़कों पर आंदोलन के जरिए. राजनीतिक माहौल बनाया जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री आवास धरना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार

वहीं, भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिना इजाजत जबरदस्ती प्रधानमंत्री आवास के द्वार पर धरना दिया. उनके पिता, दादी और परदादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं. उन्हें प्रधानमंत्री आवास की गरिमा का पता है, फिर भी उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया. श्री प्रसाद ने कहा, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सचमुच यह एक शर्मनाक दिन था.



इजाजत जबरदस्ती प्रधानमंत्री आवास के द्वार पर धरना दिया. उनके पिता, दादी और परदादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं. उन्हें प्रधानमंत्री आवास की गरिमा का पता है, फिर भी उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया. श्री प्रसाद ने कहा, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सचमुच यह एक शर्मनाक दिन था.



साबित होगा. वर्ष 2014 में शुरू हुई इस परियोजना को वर्तमान गठबंधन सरकार ने तेजी से पूरा कराया है. राज्य सरकार उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटी है. मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय

समीक्षा बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. बैठक में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राम मोहन नायडू, राज्य मंत्री नारेंद्रलाल मनीहरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.



असम में बाढ़ का कहर, 21 की मौत

गुवाहाटी, 22 जुलाई. असम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 21 लोगों की मौत हो गई, जिससे इस वर्ष बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 31 हो गई है. राज्य के बिस्वनाथ, चराइदेव, धेमाजी,

डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कान्बरूप, कामरूप महानगर, कार्बी आंगलोंग, नगांव, शिवसागर और तिनसुकिया सहित 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. इन जिलों में 5 लाख 64 हजार 600 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. सबसे अधिक 13 मौतें शिवसागर जिले में दर्ज की गई हैं, जिनमें चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं.

बेटी बनी माता-पिता और बहन की कातिल



► **लिव-इन साथी संग रची मौत की पूरी पटकथा**
► **एएआई से रची गई खौफनाक हत्या की साजिश**

बेंगलुरु, 22 जुलाई. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सामने आए तिहरे हत्याकांड की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस के मुद्दा है कि इस मामले के मुख्य आरोपी और उसकी लिव-इन साथी ने कथित तौर पर कृत्रिम

बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट का उपयोग कर कई महीनों तक हत्या की योजना तैयार की. जांच के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से यह जानने की कोशिश की कि किसी व्यक्ति पर घातक हमला कैसे किया जाए, खुन के निशान किस तरह मिटाए जाएं और शवों को कैसे ठिकाने लगाया जाए. इस मामले में गिरफ्तार युवती पर अपने माता-पिता और छोटी बहन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है. जांच एजेंसियों का कहना है कि

जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ खड़े हुए केजरीवाल

नई दिल्ली, 22 जुलाई. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को राजधानी के जंतर-मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं से मुलाकात कर उनके आंदोलन का समर्थन किया.

इस दौरान उन्होंने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनने और उनका समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया.

पुलिस कार्रवाई पर केजरीवाल ने उठाए सवाल



बस ने 4 को कुचला, 2 की मौत
चंडीगढ़, 22 जुलाई. पंजाब के पटानकोट जिले में जालंधर-पटानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर कौतरपुर के पास बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक निजी लजरी बस की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

क्रमांक / 1442 / ले.नि. / न.प. / 25-26

कार्यालय नगर परिषद राऊ जिला इंदौर

Email: cmorau@mpurban.gov.in

दिनांक 20.07.2026

-निविदा आमंत्रण सूचना-

एतद् द्वारा समस्त सम्मक्ष श्रेणी पंजीकृत टेकदार/ फर्म को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन टेण्डर ई-प्रोक्वोरमेंट सिस्टम पोर्टल (http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से दरे आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	ऑन लाइन टेण्डर क्रमांक	कार्य की समयावधि अनुमानित एवं लागत (रुपये में)	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD (रुपये में)	निविदा जारी दिनांक	निविदा क्रय की अंतिम तिथि एवं समय
1	2	3	5	6	7	4
1	2026_UAD_522855_1	12 माह 250.00 लाख	REQUEST FOR PROPOSAL FOR VARIOUS CIVIL AND ELECTRICAL WORKS LIKE CONSTRUCTION, DEVELOPMENT, BEAUTIFICATION, REPAIRING/ MAINTENANCE WORKS AT VARIOUS PLACES IN VARIOUS WARDS IN NAGAR PARISHAD RAU, DISTRICT INDORE (M.P.)	1. 15,000/- 2. 300000/-	20/07/2026	19/08/2026 समय - 18.30 बजे

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन टेण्डर ई-प्रोक्वोरमेंट सिस्टम पोर्टल (http://www.mptenders.gov.in) पर ही किया जाएगा पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

(श्रीमती पद्मी विजय पाटीदार)

अध्यक्ष,
नगर परिषद, राऊ (इंदौर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, राऊ (इंदौर)



कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

विद्युत विभाग

E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com

विज्ञप्ति क्र.: 20/26-27/
ई टेंडर C.E/E&M

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत टेकदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

निविदा सूचना

दिनांक: 21/07/2026

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026-UAD-523125 21-07-2026	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 40 के अंतर्गत सूर्यपिन गाईन (मालव वाटिका) में प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य।	2 माह ₹13,72,569/-	₹2,000/- ₹10,500/-	21.08.2026 5:30 PM
2	2026-UAD-523131 21-07-2026	झोन क्र. 22 वार्ड क्र. 36 के अंतर्गत हरेकृष्ण विहार में सूर्यपिन गाईन (मालव वाटिका) में प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य।	2 माह ₹13,82,812/-	₹2,000/- ₹10,400/-	21.08.2026 5:30 PM

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन <https://mptenders.gov.in/> की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजाब नेशनल बैंक Punjab national bank		शाखा : जवाहर मार्ग, वैष्णव स्कूल के सामने, इन्दौर-452007	मांग सूचना
वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना (सरफेसी अधिनियम)			
नीचे लिखे गए बकायादारों / जमानतदारों को जो बैंक के ऋण पुर्नभुगतान नहीं कर रहे हैं एवं नीचे दी गई दिनांक को एनपीए हो गया है, पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में बगित प्रवधानों के अंतर्गत यह सूचित किया जाता है की वर्गित पूर्ण बकाया धन राशि एवं व्याज एवं अन्य खर्चों का 60 दिवस के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13 (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपत्तियों का आधिपत्य लेकर सार्वजनिक घोष विक्रय के माध्यम से बकाया राशि की वसूली कि जाएगी उधार लेने वाले ऋणियों / जमानतदारों को विशेष रूप से एवं आम जन को साधारण रूप से इस नोटिस के द्वारा सावधान किया जाता है की यह संपत्ति के संबंध में कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक, को देय समन्पूर् राशि याज सहित के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभाव के अधीन होगा।			
ऋणी/ जमानतदार का नाम, पता एवं खाता संख्या	चल / अचल संपत्ति का विवरण	एनपीए दिनांक मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि (रु.)
श्री किशन आहूजा पिता श्री टेकवंद आहूजा श्रीमती मधु आहूजा पति श्री किशन आहूजा पता: ई-85, द्वितीय मंजिल, लवकुश आवास विहार, एमआर-10, सुखलिया कॉलोनी, इन्दौर-452010 पता 2: फ्लैट नं. 102, सी 1 का प्रथम मंजिल, ब्लॉक / बिल्डिंग शालीमार प्रोजेक्ट में, सेक्टर - 1 / फेस ए-1, ग्राम कबीटखंडी, तहसील एवं जिला इन्दौर, म.प्र.-452010, कुल विस्टअप क्षेत्रफल 704.00 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: पूर्व: ब्लॉक सी-1 का फ्लैट नं. 103, पश्चिम: खुली जगह, उत्तर: ब्लॉक सी-2 का फ्लैट नं. 104, दक्षिण: ब्लॉक सी-1 का फ्लैट नं. 101, संपत्ति स्वामी: श्री किशन आहूजा पिता श्री टेकवंद आहूजा एवं श्रीमती मधु आहूजा पति श्री किशन आहूजा	फ्लैट नं. 102, सी 1 का प्रथम मंजिल, ब्लॉक / बिल्डिंग शालीमार स्वयं प्रोजेक्ट में, सेक्टर - 1 / फेस ए-1, ग्राम कबीटखंडी, तहसील एवं जिला इन्दौर, म.प्र.-452010, कुल विस्टअप क्षेत्रफल 704.00 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: पूर्व: ब्लॉक सी-1 का फ्लैट नं. 103, पश्चिम: खुली जगह, उत्तर: ब्लॉक सी-2 का फ्लैट नं. 104, दक्षिण: ब्लॉक सी-1 का फ्लैट नं. 101, संपत्ति स्वामी: श्री किशन आहूजा पिता श्री टेकवंद आहूजा एवं श्रीमती मधु आहूजा पति श्री किशन आहूजा	08.06.2026 06/07/2026	Rs. 28,63,671/- + ओगे का व्याज + अन्य खर्च दि. 01/07/2026 से लागू
उक्त अधिनियम के तहत जारी उक्त मांग नोटिस संदर्भित ऋणियों / जमानतदारों को उनके उल्लेख पते पर भेजे जा चुके हैं। (1) नोटिस की विस्तृत जानकारी / प्रति किसी भी कार्य दिवस को पंजाब नेशनल बैंक, की संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। (2) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए कृपया आज से 60 दिनों के भीतर उपरोक्त मांग सूचना में उल्लेखित व्याज और लागत आदि के साथ बकाया राशि का भुगतान करें।			
स्थान : इंदौर, दिनांक : 23.07.2026			

पीएम मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू

नई दिल्ली, 22 जुलाई. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा का हस्तनिर्मित चित्र भेंट किया, जो आंध्र प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सामाजिक माध्यम एक्स पर दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी साझा की.

यह मुलाकात भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के उद्घाटन से पहले हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री नायडू ने हाल ही में कहा था कि यह हवाईअड्डा उत्तर आंध्र के आर्थिक विकास की दिशा बदलने वाला

सीबीआई के हलफनामे पर हाई कोर्ट ने जताया असंतोष

राहुल गांधी की याचिका पर रिपोर्ट
लखनऊ, 22 जुलाई. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया है.

अदालत ने स्पष्ट कहा कि एजेंसी का जवाब उसके पूर्व आदेश के अनुरूप नहीं है और उसमें शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई तथा जांच की वास्तविक

प्रगति का पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है. न्यायमूर्ति बी.आर. सिंघ की खंडपीठ कर्नाटक निवासी एस. विम्वेश शिशिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने अपने-अपने जवाबी हलफनामे अदालत में प्रस्तुत किए.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैस लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतवन कस्ब मार्ग लोवर फेज, मुम्बई-400013. शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, सिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010					
अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना					
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) संप्रति नियम 9(1) के तहत) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) संप्रति नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना					
एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक 11-08-2026 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और खरीदर राशि जमा निम्न वर्गित है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 11-08-2026 को दोपहर 2:00 बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहूर्तवर्द्ध ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 10-08-2026 को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैस लिमिटेड, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, सिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति / अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।					
क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(यों)/ जमानतदार(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL0284000100179999 & TCHHF0284000100180494 & TCHIN0284000100182269 & TCHIN0284000100242408	श्री बलवंत वर्मा श्रीमती घाई बाबा	Rs. 17,23,647/- 10-10-2025	₹ 16,90,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) :- ₹ 1,69,000/- कब्जे का प्रकार : मौलिक	Rs. 19,14,115/- 09-07-2026
अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, उत्तर से दक्षिण की ओर प्लॉट नं. 136-ए/1, रॉयल टाउन, ग्राम मुहगांव, तहसील मुहगांव, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट (यानी 41.82 वर्ग मीटर)। चतुर्सीमाएं: पूर्व: इस प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 137-ए, दक्षिण: इस प्लॉट का शेष भाग					
नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी। नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेबी बई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी: कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 11-08-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।					
नियम और शर्तें : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उद्योगणा अधोहस्ताक्षरी किसी तृती, गवर्ती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: रु. 10,000/- (दस हजार मात्र) 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएं 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैस लिमिटेड' के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीडीएस / एनएफटी / आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्त वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उस लेगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक 04-08-2026 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्राथमिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मासिक /उधारकर्ता (ओं) के पैम में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जायेगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://surl1lndanhy का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html					
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री / नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।					
ह/- स्थान : इन्दौर दिनांक : 23.07.2026 (प्राधिकृत अधिकारी) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैस लि.					